न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 48/19 व 2019/00073

1. आदुराम पुत्र नानकराम कौम खाती साकिन खिलेरिया हाल चक 40 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. मुलाराम पुत्र रिडमलराम कौम जाट साकिन भुभलाई हाल चक 40 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाशकगण :–

1. श्री पुरूशोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
1. श्री मनीराम जाखड़ विद्वाान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम

आदे ा दिनांक :– 06.12.19

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान का तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम कृशि भूमि वाके चक 40 केवाईडी के मु0न0 160/30 के कि0न0 1 ता 14 तादादी 14 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि है जिसमें प्रवे ा करने के लिए प्रार्थी मु0न0 160/38 के किला न0 21 ता 25 के कटान ुदा रास्ता से होकर अप्रार्थी के मु0न0 160/30 के कि0न0 25,16व 15 दक्षिण से उतर अपने खेत के किला0न0 6 में प्रवे ा करता है और इसके अलावा खेत में आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है। यही एकमात्र आवागमन का साधन है अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए प्रार्थी 2–2 बिस्वा भूमि बतौर रास्ता चाहता है।

वर्तमान में राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आव यकता आत्यंतिक आव यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदे ा द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी रा ि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया गया जिसपर अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब पे ा किया उभयपक्ष की बहस सुनी गई न्यायालय ने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक ाा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पश्ट है कि प्रार्थीगण के लिये उक्त रास्ते की महती आव यकता है । अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी परस्पर एकदूसरे को अपनी 2–2 बिस्वा भूमि देकर रास्ते का प्रकरण निपटाना चाहते है। चूंकि उक्त रास्ता केवल एक ही खातेदार के काम आने योग्य है तो क्यों न पारस्परिक स्थानान्तरण कर रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जावे। हमारे मत में भी विचार है कि लोकअदालत की भावना से पक्षकारों में भ्रांति से समझौता अनुरूप कार्य हो तो परस्पर मुकदमेबाजी कम होगी इसलिए विनम्र मत में और राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, खाजूवाला को आदे ा किये जाते है कि चक 40 केवाईडी के मु0न0 160/30 के किला न0 25 में 2 बिस्वा भूमि दक्षिण से उतर बतौर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज की जावे तथा किला न0 16 व 15 में 2–2 बिस्वा मुरब्बा की सींव पर जो अप्रार्थी मुलाराम पुत्र रिडमलराम के नाम दर्ज है की जगह उक्त 2–2 बिस्वा प्रार्थी आदुराम पुत्र नानकराम के नाम दर्ज की जावे तथा प्रार्थी आदुराम के किला न0 14,13,12 की 2–2 बिस्वा मुलाराम के चिपते पूर्व से प ि चम अप्रार्थी मुलाराम पुत्र रिडमलराम के नाम दर्ज की जावे। परस्पर दोनों के स्थानान्तरण भूमि खातेदार दर्ज कर किला न0 25 में 2 बिस्वा रास्ता दक्षिण से उतर रास्ता कायम कर चालू किया जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदे ा की पालना सुनि ि चत करें पत्रावली फैसल ुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)